वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

पत्रांक : 271 / वि0प्रा0 / निर्माण / 2026–27 दिनांक– 18/05/2026

ई–निविदा सूचना

वाराणसी विकास क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी या अन्य विकास प्राधिकरणों / सरकारी संस्थाओं / आवास एवं विकास परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। कार्य से सम्बन्धित विस्तृत निविदा, नोटिस तथा ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र एन0आई0सी0 की वेबसाईट **http://etender.up.nic.in** पर देखा जा सकता है। कार्य से सम्बन्धित ई–निविदा प्रपत्र एन0आई0सी0 की वेबसाईट **http://etender.up.nic.in** पर सबमिट की जायेगी।

क्र सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	बिड पद्धति	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रूपये में) समस्त टैक्स सहित	धरोहर राशि (EMD) (रूपये लाख में)	ई–निविदा की प्रारम्भ तिथि	ई–निविदा की अन्तिम तिथि एवं समय	बिड खोलने की तिथि एवं समय	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	वार्ड–95 काजीसादुल्लापुर में संजय गॉधी नगर, संजय अर्पाटमेंट, काटन मील कालोनी, कच्चीवा, नवापुरा व चौकाघाट पानी टंकी स्थलों पर अंधेरा होने के दृष्टिगत मार्ग प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	47.30	द्वि–पद्धति विथ आर0 ए0 आक्शन	3110.00	95,000.00	18.05.2026	25.05.2026 अपरान्ह 2:00 बजे	25.05.2026 सांय 4:00 बजे	07 दिन

नियम व शर्ते :–

1. उक्त कार्य की निविदा मूल्य (Tender Fee) एवं अग्रिम धरोहर धनराषि (EMD) इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्राधिकरण की वेबसाइट **vdavns.com** पर उपलब्ध EARNEST MONEY DEPOSIT MANAGEMENT SYSTEM पर **अथवा** https://emd.vdapms.in/ लिंक पर सीधे आनलाइन जमा किया जा सकता है, जिसकी रसीद / प्रपत्र अपलोड कराना होगा।
2. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, लोक निर्माण अनुभाग–7 के शासनादेश सं0–692 / 23–07–2024 दिनांक–09.08.2024 के अनुसार यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) लागत से 10 प्रतिशत तक कम (Below) है तो उस पर कोई अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी नहीं ली जायेगी। यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत, स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) लागत से से 10 प्रतिशत से अधिक कम (Below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (Below) के सापेक्ष 01 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम (Below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी ली जायेगी जिसे ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध गठन के समय जमा करना होगा।
3. निविदा की दरों में जी0एस0टी0 सम्मिलित नही है।
4. निविदा प्रपत्र उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन की वेबसाईट "http://www.etender.up.nic.in" पर देखे जा सकते हैं तथा इसी वेबसाईट से डाउनलोड / अपलोड भी किये जा सकेंगे। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाईट को देखते रहें क्योकि प्रश्नगत निविदाओं के सम्बन्ध मे कोई बदलाव अथवा सूचना उक्त वेबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
5. कार्य के मात्रा में कमी / बढ़ोत्तरी अथवा विभाजित करने अथवा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण में निहित है, जिसके विरूद्ध निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
6. निविदा की स्वीकृति की दशा में जमानत धनराशि हेतु स्वीकृत कार्य लागत की 5 प्रतिशत धनराशि में से उक्त कॉलम–6 के अनुसार जमा धरोहर धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि ठेकेदारों द्वारा देय होगी अथवा सम्पूर्ण आवश्यक जमानत धनराशि का एफ0डी0आर0 (अधिशासी अभियन्ता, वा0वि0प्रा0 के पक्ष में बन्धक हो) जमा करनी होगी।
7. निविदादाता को आयकर विभाग, श्रम विभाग एवं जी0एस0टी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा समय–समय पर लागू आयकर, लेबर सेस एवं अन्य निर्देशित करों / देयता की कटौती ठेकेदार के बिलों से नियमानुसार की जायेगी।
8. स्टेट बार कौसिल में पंजीकृत व्यक्ति एवं आपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाताओं को निविदा प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नहीं हैं। साथ ही यदि निविदादाता / फर्म के किसी पार्टनर का सगा सम्बन्धी (First blood relation & their dependant), यथा पिता, पुत्र, भाई, बहन, चाचा, दादा, नाना, पौत्र, फर्स्ट कजिन, सास–ष्वसुर, दामाद, बहनोई, पत्नी / पति के भाई बहन, माता, मामा–मामी, चचेरे भाई–बहन, मौसेरे भाई–बहन, आदि वाराणसी विकास प्रधिकरण में कार्यरत है तो उसे भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
9. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर कार्य / अनुबन्ध की स्वीकृति को तत्काल निरस्त करते हुए ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर / जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा ठेकेदार को कालीसूची में डाल दिया जायेगा।
10. उ0प्र0 भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम नियमावली वर्ष–2009 के विनियम 24 (2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा हेतु श्रम विभाग में एकल पंजिकरण कराना अनिवार्य है। अतः अनुबन्ध गठन के पश्चात उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराना होगा, जिसके उपरान्त ही चलित देयक का भुगतान किया जायेगा।
11. लोक निमार्ण विभाग के स्टैण्डर्स बिड डॉक्यूमेन्ट (एस.बी.डी) / मॉडल बिड डॉक्यूमेन्ट (एम.बी.डी) के भाग–4 के प्रस्तर–13 के अनुसार रू0 40.00 लाख से अधिक के कार्यो तथा निर्माण कार्य में लगें मजदूरों की संरक्षा हेतु ठेकेदार द्वारा अपने खर्चे पर कार्य एंव सम्बन्धित कामगारो का बीमा कराना आवश्यक है।
12. निविदा खोलने की तिथि को अवकाश की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
13. यदि दो अथवा दो से अधिक निविदादाताओं द्वारा निविदा की दरें समान दी जाती है तो न्यूनतम निविदादाताओं से सूचित किये जाने वाले अवधि के अन्दर पुनः सील बन्द लिफाफे में संशोधित दर प्राप्त कर तदनुसार विचार किया जा सकता है। यदि फिर भी समान दरें प्राप्त होती हैं तो लाटरी के माध्मय से निविदा पर विचार किया जायेगा।
14. यदि कतिपय कारणों से कोई फर्म / ठेकेदार द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं किया जाता है तो द्वितीय न्यूनतम निविदादाता से प्रथम न्यूनतम निविदादाता की दर पर सहमति प्राप्त कर कार्य कराया जा सकता है।

15. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
16. जॉइंट वेंचर (JV) निविदा मान्य नहीं होगी।
17. निविदा आमंत्रण सूचना के नियम व शर्तों तथा निविदा प्रपत्रों में उल्लिखित नियम व शर्तों में यदि कोई भिन्नता होती है तो निविदा आमन्त्रण–सूचना की नियम व शर्तें ही मान्य होगी।
18. फर्म द्वारा कराये गये कार्य के किसी मद में कमियॉ परिलक्षित होती है तो उक्त मद में 10 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।
19. फर्म को अपने कार्यालय का स्पष्ट पता, मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल का विवरण अनिवार्यतः संलग्न करना होगा।
20. निविदा में प्रतिभाग करने वाली फर्मो/कम्पनिओं/ठेकेदारों के पास दिनांक 31.03.2026 तक मान्य "क" श्रेणी विद्युत लाइसेन्स होना अनिवार्य है, जिसे तकनीकी बिड्स के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
21. निविदा स्वीकृत होने पर वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी में फर्म को अनुबंध से पूर्व पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
22. शहर में वायु की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए निर्माणाधीन कार्यो से जनित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, (C&D Waste) नियमावली 2016 एवं मा0 N.G.T के अधिनियम 2010 के नियमो के तहत स्वयं के व्यय से निस्तारण करना होगा। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (C&D Waste) प्रसंसकरण शुल्क वाराणसी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्लान्ट तक पहुॅचाने पर रू0 173/- प्रति टन है। यदि C&D Waste को स्थल से संग्रहण, परिवाहन व निस्तारण, वाराणसी नगर निगम द्वारा अनुबन्धित फर्म मे0 इण्डो इन्वायरो इण्टीग्रेटेड सॉल्यूशन लिमिटेड के द्वारा करायेंगे, तो उसके लिये वाराणसी नगर निगम द्वारा संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए निर्धारित शुल्क रू0 525/- प्रति टन है। इसके अतिरिक्त निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (C&D Waste) नियमावली–2016 के अनुसार 20 टन/दिन या 300 टन/प्रोजेक्ट C&D Waste उत्पन्न करने वाली संस्थाओं को उक्त C&D Waste को Segregate करना एवं उसके निस्तारण की कार्ययोजना वाराणसी नगर निगम से अनुमोदित कराना अनिवार्य है। उक्त की रसीद, बिल भुगतान के समय प्रस्तुत करना होगा।
23. निविदा के साथ संलग्न फर्म के टर्न ओवर का आडिट किया होना अनिवार्य है।
24. निविदादाता द्वारा प्रश्नगत कार्य स्थल का निरीक्षणोपरान्त तथा उक्त समस्त शर्तो को संज्ञान में लेते हुए ही निविदा में प्रतिभाग किया जायेगा।
25. तकनीकी बिड्स में उल्लेखित समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा एवं इससे सम्बन्धित समस्त प्रपत्र तकनीकी बिड्स के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य।
26. कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु बी0ओ0क्यू0 में दिये गये स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही कार्य पूर्ण कराया जायेगा।
27. निविदा में आर0ए0आक्शन का भी प्राविधान लागू होगा।

अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0)
दिनांक–

पत्रांक : /वि0प्रा0/निर्माण/2026–27

प्रतिलिपि : **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
2. सचिव, विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
3. वित्त नियंत्रक, विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
5. संबंधित संचिका/नोटिस बोर्ड।

अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0)

Signature Not Verified
Digitally signed by SATYA PRAKASH VERMA
Date: 2026.05.18 16:15:09 IST
Location: Uttar Pradesh-UP